



राजस्थान सरकार  
निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लॉक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎ : 0141-2704357 📠 : 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in



क्रमांक :- निसंशि/संस्था-2(क)/पं.रिव्यू डीपीसी/संस्कृत/2022/14554-60

दिनांक:- 31/5/2022

-: आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर द्वारा डी.बी.स्पेशल अपील संख्या 986/2015 भुवनेश्वर प्रसाद व अन्य सात अपीलें एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस.बी.सिविल रिट पिटीशन संख्या 220/2013 तथा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण जयपुर में दायर अपील संख्या 1555/2013 एवं 1208/2009 में माननीय न्यायालय एवं अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.10.2018, 17.09.2019 एवं 09.10.2019 की अनुपालना में राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1977 के नियम 23(ए) तथा राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) नियम 2015 एवं संशोधित नियम 2018 के अन्तर्गत गठित पदोन्नति समिति की दिनांक 21.01.2022 को बैठक आयोजित कर प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका एवं प्राध्यापक विद्यालय, साहित्य विषय पद पर पूर्ववर्ती वर्षों में (2013-14 से 2019-20 तक) की गई पदोन्नति को रिव्यू (पुनरावलोकन) किया गया।

रिव्यू डीपीसी किये जाने के फलस्वरूप प्रधानाध्यापक प्रवेशिका/प्राध्यापक विद्यालय (साहित्य विषय) पद पर विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा निम्नांकित वरिष्ठ अध्यापकों को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति वर्ष के लिए प्रधानाध्यापक प्रवेशिका (रनिंग पे बैंड-3, 15600-39100 ग्रेड पे 5400/- देय)/प्राध्यापक विद्यालय (रनिंग पे बैंड-3, 9300-34800 ग्रेड पे 4800/- तथा पे मेट्रिक्स लेवल-12 देय) पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सम्मुख अंकित संस्था में पदस्थापित किया जाता है

क्र. सं.	पीएफ सं.	नाम कार्मिक मय पद व पदस्थापन स्थान	पूर्व में चयनित पद, वर्ष/विषय	रिव्यू के पश्चात चयनित पद, वर्ष/विषय	नवीन पदस्थापन स्थान
1	2070	श्री रतनलाल शास्त्री, वरिष्ठाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, लदाना खुर्द ढाणी मीणान, जयपुर	-	प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका 2013-14 एससी	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, श्रीरामपुरा, बिन्दायका झोटावाडा, जयपुर
2	3786	श्री सुगनचन्द, वरिष्ठाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बिलाली जिला अलवर	-	प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका 2013-14 एससी	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, गोरखपुरा, जिला अलवर
3	4033	श्री हीरालाल वर्मा, वरिष्ठाध्यापक राजकीय वरि0उपा0 संस्कृत विद्यालय, शिवसिंहपुरा जिला जयपुर	-	प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका 2013-14 एससी	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, नायन, जयपुर
4	6767	श्री जगदीश चन्द बागड़ी प्रधानाध्यापक, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, कापरेन जिला बुंदी	प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका 2013-14 एससी	प्राध्यापक, विद्यालय, (साहित्य विषय) 2013-14 एससी	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, मोतीकुआं कोटा
5	7264	श्री कैलाश चन्द बैरवा प्राध्यापक, राजकीय वरि0उपा0 संस्कृत विद्यालय, महापुरा जयपुर	प्राध्यापक, विद्यालय, (साहित्य विषय) 2013-14 एससी	प्राध्यापक, विद्यालय, (साहित्य विषय) 2015-16 एससी	यथावत

6	3749	श्री रामनारायण सूत्रकार प्रधानाध्यापक, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, मंशारामपुरा जिला जयपुर	प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका 2013-14 एससी	प्राध्यापक, विद्यालय, (साहित्य विषय) 2018-19 एससी	राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, सामोद, गोविन्दगढ जयपुर
---	------	--	--	--	---

- नोट- 1. पदोन्नत प्रधानाध्यापक, प्रवेशिका/प्राध्यापक, विद्यालय को पदोन्नत पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार उक्त आदेश की पालना में दिनांक 10.06.2022 तक कार्यारंभ करना आवश्यक होगा अन्यथा उनके चयनित वेतनमान को विलम्बित कर दिया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ7(1)कार्मिक/क-2/ 90 दिनांक 05.08.1998 के अनुसार दो रिक्ति वर्ष तक पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जावेगा।
2. कार्मिक विभाग की अधिसूचना पं.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के अनुसार संबंधित कार्मिक द्वारा इस आशय का शपथपत्र कार्यारंभ से पूर्व संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा कि "दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान नहीं है।" दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक सन्तान होने पर संबंधित कार्मिक से कार्यारंभ नहीं कराया जावे एवं विभाग को मय प्रमाण के तत्काल सूचित करावें।
3. उपरोक्त प्रधानाध्यापक प्रवेशिका/प्राध्यापक को नियमानुसार संबंधित वेतन श्रृंखला में काल्पनिक वेतन निर्धारण रिक्ति वर्ष के अंतिम तिथि से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है इन्हें वेतन निर्धारण का वास्तविक परिलाभ उक्त पदोन्नति पद पर कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा। संबंधित कार्यालयाध्यक्ष उपर्युक्त कार्मिकों का नियमानुसार वेतन निर्धारण कर सेवापुस्तिका में आवश्यक अंकन अपने स्तर पर करेंगे।
4. कार्यग्रहण काल नियम के तहत पदस्थापन परिवर्तन होने की स्थिति में नियमानुसार योगकाल व यात्रा भत्ता देय होगा।

14554-60  
31/5/2022

31/5/2022  
(डॉ० दीरघराम रामस्नेही)  
निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख हैं कि आदेश की तत्काल पालना सुनिश्चित कराते हुए विभाग को अनिवार्य रूप से अवगत करावें।
2. संबंधित संकुल प्रभारी/संस्था प्रधान को भेजकर लेख हैं कि संबंधित की कार्यमुक्ति एवं कार्यारंभ रिपोर्ट विभाग के ई-मेल पर अपलोड करें।
3. संबंधित कार्मिक ।
4. प्रभारी, शाला दर्पण, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. प्रभारी, संस्था- 2(ख) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी संबंधित गोपनीय अनुभाग निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
7. कार्यालय हाजा।

31/5/22  
(डॉ० भास्कर शर्मा)

संयुक्त निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर